कार्यालयः—जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़

(e-mail id - dlsa21jhalawar@gmail.com, Phone no. 07432-294065)

क्रमांकः 444-448

दिनांकः 4/2/25

प्रेषितिः— श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
तालुका विधिक सेवा समिति
भवानीमण्डी / अकलेरा / चौमहला / खानपुर / पिडावा

विषयः— मध्यस्थ के रूप में सेवाएँ प्रदान करने के इच्छुक, योग्य व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त किये जाने के सम्बंध में।

प्रसंगः— रालसा का पत्र कमांक 26080—26115 दिनांक 03.02.2025 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि वैकल्पिक विवाद निस्तारण एवं मध्यस्थता गतिविधियों के सफल एवं सुचारू संचालन के क्रम में तालुकाओं पर संस्थापित मध्यस्थता केन्द्रों में मध्यस्थ के रूप में सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक, सक्षम तथा योग्य व्यक्तियों से माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 26080—26115 दिनांक 03.02.2025 (प्रति संलग्न) के अनुसार आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

अतः उक्त संबंध में दृष्टव्य स्थानों / नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा करवाकर मध्यस्थ बनने के इच्छुक, योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों से पृथक—पृथक आवेदन संलग्न प्रारूप में प्राप्त करवाकर दिनांक 17.02.2025 तक प्राप्त आवेदन इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
झालावाड़

क्रमांकः 449-452

दिनांकः 4/2/25

प्रतिलिपि :—

1. नोटिस बोर्ड, न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़
3. नोटिस बोर्ड, अभिभाषक परिषद, झालावाड़
4. वेबसाईट जिला न्यायालय

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
झालावाड़

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ

विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

दूरभाषः 0141-2227481 फैक्सः 2227602 टोल फ्री हेल्पलाईनः 15100/9928900900

ई–मेलः rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाईटः https://rlsa.rajasthan.gov.in

जिला मुख्यालयों एवं तालुका स्तर पर मध्यस्थता प्रशिक्षण हेतु आवेदन–पत्र

आवेदक अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो यहां चिपकाएं

1. आवेदक का नाम

   हिन्दी में..

   अंग्रेजी में..

2. आवेदक के पिता/पति का नाम...
3. जन्म तिथि (शब्दों व अंको में)...
4. गृह जिला..
5. जिले/तालुका का नाम, जहां अपनी सेवाएं देना चाहते हैं?........................
6. स्थायी पता..

   ....

   ....

7. वर्तमान पता..

   ....

   ....

8. मोबाईल नम्बर..
9. ई–मेल एड्रेस (बड़े अक्षरों में)...
10. कार्यालय का पता..
11. शैक्षणिक योग्यता (सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, स्नातक एवं तत्पश्चात् अर्जित):–

क्र. सं.	परीक्षा	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

12. सेवारत आवेदक के लिए सेवा में प्रवेश की तारीख...
13. वर्तमान पदनाम (सेवारत आवेदक के लिए)..
14. अंतिम धारित पद (सेवानिवृत्त आवेदक के लिए) ....
15. सेवानिवृत्ति की दिनांक..

    (सेवानिवृत्त आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)

16. बार काउन्सिल में पंजीयन संख्या (विधि व्यवसायी हेतु)..
17. वकालत का अनुभव..

18. सिविल / क्रिमिनल प्रकरणों की संख्या जिनमें पैरवी की हो (विधि व्यवसायी हेतु)

....

19. अन्य कार्य / व्यवसाय का अनुभव...

क्र. सं.	वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज
1.			
2.			
3.			

20. वर्तमान कार्य / व्यवसाय (Occupation) का विवरण..

21. विगत 03 वर्षों के आयकर रिटर्न का विवरणः–

क्र. सं.	आयकर रिटर्न वर्ष	आयकर रिटर्न के अनुसार कुल आय
1.		
2.		
3.		

22. क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति / पत्नी हैं? हाँ / नहीं

23. यदि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोजन संस्थित किया गया हो तो उसका विवरण दें।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं..पुत्र / पत्नी श्री.. घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ....

स्थान ....

नोटः आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सेवानिवृत्ति आदेश व आयकर रिटर्न की स्व–सत्यापित प्रतियां संलग्न करें। आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज भी संलग्न किये जा सकते हैं।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
दूरभाषः 0141-2227481 फैक्सः 2227602 टोल फ्री हेल्पलाईनः 15100/9928900900
ई–मेलः rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाईटः https://rlsa.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ4( )रालसा / वि.सचिव / मध्यस्थता / 2025 / 26080–26115 दिनांकः 03.02.2025

प्रेषितिः

श्रीमान् अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

विषयः मध्यस्थ के रूप में सेवाएँ प्रदान करने के इच्छुक, योग्य व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वैकल्पिक विवाद निस्तारण एवं मध्यस्थता गतिविधियों के सफल एवं सुचारू संचालन के क्रम में प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों एवं तालुकाओं पर संस्थापित मध्यस्थता केन्द्रों में मध्यस्थ के रूप में सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक, सक्षम तथा योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाने हैं।

उक्त संबंध में निवेदन है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला कलक्टर, बार एशोसिएशन कार्यालयों के बाहर स्पष्टतः दृष्टव्य स्थानों / नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा कर आपके जिले में संस्थापित मध्यस्थता केन्द्रों हेतु मध्यस्थ बनने के इच्छुक, योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों से दिनांक 17.02.2025 तक जिला स्तर एवं तालुका स्तर के लिए पृथक–पृथक आवेदन **संलग्न प्रारूप** में प्राप्त किये जावें।

प्राप्त आवेदनों की जांच एवं छंटनी निम्नानुसार की जावे–

1. वैकल्पिक विवाद निस्तारण नियम, 2004 के पार्ट–।। नियम–4 में वर्णित निम्नानुसार पात्रता रखते हों–
   - (i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण
   - (ii) माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण
   - (iii) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सेवानिवृत्त सिविल न्यायाधीश
   - (iv) माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय में कम से कम 15 वर्ष वकालत का अनुभव रखने वाले अधिवक्तागण
   - (v) कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर या वरिष्ठ नौकरशाह या सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी
2. आवेदकों द्वारा गत तीन वर्षों में भरे गये आयकर रिटर्न (ITR) के अनुसार उनकी वार्षिक आय 05 लाख रूपये या उससे अधिक हो।
3. आवेदक अधिवक्ता होने की स्थिति में, उनके द्वारा गत तीन वर्षों में सिविल / क्रिमिनल प्रकृति के कम से कम 36 प्रकरणों में पैरवी की गई हो।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
दूरभाषः 0141-2227481 फैक्सः 2227602 टोल फ्री हेल्पलाईनः 15100/9928900900
ई–मेलः rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाईटः https://rlsa.rajasthan.gov.in

4. उक्तानुसार छंटनी के बाद योग्य एवं सक्षम आवेदकों की सूची इस पत्र के साथ **संलग्न प्रारूप** में सॉफ्ट कॉपी (Excel file) एवं पीडीएफ में दिनांक 19.02.2025 तक इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

सादर

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

Diom Attri

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।